

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा सीवरेज व अमृत मिशन के कार्यों की समीक्षा

रतलाम 24 फरवरी । नगर में अमृत मिशन योजना के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने योजना के वाष्कोस कम्पनी के मुख्य तकनीकी सलाहकार श्री कृष्ण फड़के, रेसीडेन्ट इंजीनियर श्री संदीप बाथम, फील्ड इंजीनियर श्री वैभव शर्मा, जयवरुडी इन्फ्राकोन के प्रोजेक्ट इंजीनियर श्री हरेश डामोर, स्ट्रॉम वॉटर ड्रेनेज (नाला) के ठेकेदार श्री नलीन पटेल, उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारिया, निगम कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, श्री जी.के. जायसवाल, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी व उपयंत्रियों के साथ की।

स्टार्म वॉटर ड्रेनेज (नाला) प्रोजेक्ट की समीक्षा के दौरान कार्य की प्रगति तथा अवरोधों के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई तथा कार्य 31 मार्च तक निश्चित रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। स्टार्म वॉटर ड्रेनेज (नाला) प्रोजेक्ट का संशोधित डीओक्यू शीघ्र तैयार कर शासन को प्रेषित किये जाने के निर्देश निगम आयुक्त श्री झारिया ने समीक्षा बैठक में दिये।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बैठक में निर्देशित किया कि नालों का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर ऐसे स्थल जहां नाले की दीवार के बनने बाद अधिक स्थान उपलब्ध हो वहां पर हरियाली विकसित करने हेतु चिन्हीत किया जाये क्योंकि सीवरेज प्रारंभ होने के बाद नालों में सिर्फ बरसाती पानी ही बहेगा घरों का नहीं।

सीवरेज प्रोजेक्ट की समीक्षा में निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देश दिये कि योजना कार्य 30 जून तक अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाये। पीडीएमसी द्वारा बताया गया कि मात्र 13 किलोमीटर सीवर लाईन बिछाई जाना शेष है। सैलाना मुख्य मार्ग के सहारे सीवर लाईन बिछाने हेतु एमपीआरडीसी की स्वीकृति नहीं मिलने पर निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा पूर्व के पत्राचार संबंधी नस्ती उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

गुलमोहर कालोनी, राजस्व कालोनी सहित अन्य क्षेत्र जहां सीवरेज लाईन बिछाये जाने में अड़चने आने पर निगम आयुक्त श्री झारिया ने गुलमोहर कालोनी कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री बलवंत भाटी, राजस्व कालोनी के पत्रकार श्री तुषार कोठारी सहित क्षेत्रों के नागरिकों को आमंत्रित किया व चर्चा कर समस्या का निराकरण किया।

शहर के बचे हुए क्षेत्रों में सीवर लाईन का कार्य तत्काल प्रारंभ कर पूर्ण करने के निर्देश निगम आयुक्त श्री झारिया ने बैठक में दिये साथ ही आमजन को कम से कम असुविधा हो सके लिये पर्याप्त बेरिकेटिंग करने, वैकल्पिक मार्ग का चिन्हांकन करने तथा नियत समय-सीमा में रिस्टोरेशन का कार्य करने के निर्देश संबंधित को दिये। कार्य स्थल पर कार्य पूर्णता की संभावित दिनांक का बैनर लगाने, बदल मार्ग आदि के सूचना पट्ट लगाये जाने के भी निर्देश बैठक में दिये गये। सीवरेज का कार्य पूर्ण होने पर एसटीपी प्लांट में ट्रीटेड वॉटर के रियूज के संबंध में भी चर्चा की गई।

आयोजित बैठक में सहायक यंत्री श्री एम.के. जैन, निगम सचिव श्री जसवंत जोशी, लेखाधिकारी श्री विजय बालोद्रा, स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, उद्यान विभाग प्रभारी श्री अरविन्द दशोत्तर, उपयंत्री सर्वश्री सुहास पंडित, राजेश पाटीदार,

मनीष तिवारी, ब्रजेश कुशवाह, सुश्री दीक्षा निजामपुरकर, श्रीमती अनिता ठाकुर, झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े, प्रभारी कार्यालय अधीक्षक श्री बी.एल. चावरे, स्टेनोग्राफर श्री प्रमोद तिवारी आदि उपस्थित थे।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा विभिन्न वार्डों की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने पर 7 कर्मचारियों का वेतन काटा

रतलाम 24 फरवरी । नगर की सफाई व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ़ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह के साथ वार्ड क्रमांक 10, 11 व 33 के अलावा नगर के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा वार्ड क्रमांक 10 के निरीक्षण के दौरान क्षेत्र में स्वच्छंद रूप से मवेशी विचरण करते पाये जाने पर मवेशियों को तत्काल पकड़वाने के निर्देश दिये। अलकापुरी व भारत माता उद्यान के निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त श्री झारिया ने सफाई का कार्य मुस्तैदी के करवाये जाने के निर्देश संबंधित को दिये।

निरीक्षण के दौरान कार्य में लापरवाही बरतने व बिना सूचना के अनुपस्थित कर्मचारी राहूल बिड़वान प्रभारी वार्ड 11, राजू कल्याण प्रभारी वार्ड 10, राजेन्द्र फतरोड प्रभारी वार्ड 33, नूर मोहम्मद वाहन चालक द्वारा सफाई कार्य में लापरवाही बरतने व वार्ड क्रमांक 10 में बिना सूचना के अनुपस्थित सफाई संरक्षक श्रीमती डोली-लेखराज, धीरज-रमेश व दीपक-जगदीश का एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने व निलंबन की कार्यवाही किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये जाने के निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देश दिये।

इसके अलावा बाजना बस स्टैण्ड क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त श्री झारिया ने गंदगी करने व 50 माईक्रोन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोगकर्ताओं पर स्पॉट फाईन किये जाने हेतु गठित दलो से स्पॉट फाईन की जानकारी ली। साथ ही त्रिपोलिया गेट क्षेत्र में ऐसे दुकानदार जिन्होंने दुकान के बाहर छज्जे निकाले हुए हैं उनके छज्जे हटाये जाने व जुर्माना किये जाने के निर्देश संबंधित को दिये।

ईडब्ल्यूएस फ्लेट में शिफ्ट होने हेतु 54 हितग्राहियों को सूचना पत्र जारी

रतलाम 24 फरवरी । प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत डोसीगांव में निर्मित ईडब्ल्यूएस फ्लेट जो कि शिवशंकर कालोनी स्लम बस्ती के 60 हितग्राहियों को आवंटित हुए हैं व उनकी रजिस्ट्री तैयार हो चुकी तथा ऋण हेतु मारगेज (बंधक नामा) तैयार हो चुका है उन्हें फ्लेट में निवास करने हेतु नगर निगम द्वारा सूचना-पत्र जारी किये गये।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि शिवशंकर कालोनी स्लम बस्ती के 60 हितग्राहियों को ईडब्ल्यूएस फ्लेट आवंटित हुए हैं जिनमें से 6 परिवार फ्लेट में शिफ्ट हो चुके हैं शेष 54 हितग्राहियों की रजिस्ट्री तैयार कर मारगेज (बंधक नामा) बैंक में रखने हेतु तैयार हो चुका है उन्हें फ्लेट में शिफ्ट होने हेतु सूचना-पत्र जारी किया गया है। हितग्राही शीघ्र फ्लेट में शिफ्ट होकर आधिपत्य प्राप्त करें वहां पानी, बिजली आदि की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा स्लम बस्तियों के शेष हितग्राहियों की मारगेज (बंधक नामा) तैयार होने के बाद आधिपत्य हेतु सूचना-पत्र जारी किये जावेंगे।

31 व्यक्तियों पर स्पॉट फाईन कर 18 किलो पॉलीथीन जब्त

**50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग प्रतिबंधित
उपयोग व भण्डारण पर होगी जब्ती व लगेगा दण्ड**

गंदगी करने व पॉलीथीन का उपयोग करने पर 23 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम 24 फरवरी । शासन निर्देशानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र रतलाम में सब्जी, फल-फ़ूट व अन्य सामग्री के फुटकर व्यवसायी अगर 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग करते हैं तो उन पर 50 रुपये का अर्थदण्ड किया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी। इसी तरह दुकानदारों द्वारा 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग व भण्डारण करता है तो उस पर 5000/- रुपये का अर्थदण्ड किया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी।

नगर निगम के स्पॉट फाईन दल द्वारा ऐसे दुकानदार व सब्जी विक्रेता जो कि गंदगी कर रहे थे व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग कर रहे थे उन पर की गई जुर्माने की कार्यवाही के तहत अग्रवाल नमकीन व सोहनलाल चांदनी चौक पर 3000-3000, हेमन्त स्टोर, छावनीवाला, बैरागी जनरल स्टोर माणक चौक पर 200-200, राज पेंटर्स, मुकेश अग्रवाल, पारस मसाले, सांवरिया किराना स्टोर माणक चौक, मयूर वॉच क्लॉथ मार्केट, विशाल बाजना बस स्टैण्ड, राजूबाई चांदनी चौक पर 100-100, संजय, छावनीवाला, गोविन्द, हैदरी जनरल स्टोर, सुनीताबाई, महेश माली माणक चौक, कैलाशीबाई, रमेश, पप्पू, जीतू, कृष्णाबाई, चेतन माली, शेखर, विजय, रेखाबाई, निकिता, राहूल बाजना बस स्टैण्ड व तीन अन्य व्यक्तियों पर 50-50 रुपये का जुर्माना कर भविष्य में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग ना करने की समझाईश दी गई व लगभग 18 किलो पॉलीथीन जब्त की गई।

नगर के नागरिक, दुकानदार व फुटकर व्यापारियों से अपील की जाती है कि वे 50 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व प्लास्टिक का उपयोग व भण्डारण ना करें।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान व श्री पर्वत हाड़े, उप स्वच्छता निरीक्षक श्री जय उपाध्याय आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरुद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

लक्कड़पीठा प्यारु के पास आज लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर

नागरिकों ने 37,62,144/- संपत्तिकर व 7,91,030/- जलकर जमा कराया

रतलाम 24 फरवरी । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधित करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर 18 जनवरी से आयोजित किये गये है जो 27 मार्च तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरण, जलकर, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किश्त तथा भू-भाटक की बकाया राशि जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 1,10,000/- व जलकर 6,000/-, मालवा नगर लक्ष्मणपुरा शिविर में संपत्तिकर 1,40,000/- व जलकर 55,775/-, अम्बे माता जवाहर नगर शिविर में संपत्तिकर 2,38,000/- व जलकर 49,010/-, विनोबा नगर शिविर में संपत्तिकर 1,29,000/- व जलकर 43,670/-, अलकापुरी कम्प्यूनिटी हॉल शिविर में संपत्तिकर 1,22,000/- व जलकर 29,280/-, तिरूपति शिविर

में संपत्तिकर 77,000/- व जलकर 19,850/-, कोमल नगर शिविर में संपत्तिकर 1,27,000/- व जलकर 48,220/-, मार्निंग स्टार स्कूल शिविर में संपत्तिकर 1,12,000/- व जलकर 14,000/-, कस्तुरबा नगर शिविर में संपत्तिकर 5,47,000/- व जलकर 86,540/-, प्रियदर्शनी नगर शिविर में संपत्तिकर 1,02,000/- व जलकर 3,76,905/-, डोंगरे नगर शिविर में संपत्तिकर 1,82,500/- व जलकर 76,470/-, हाट रोड शिविर में संपत्तिकर 68,000/- व जलकर 47,595/-, कलीमी कालोनी शिविर में संपत्तिकर 1,17,000/- व जलकर 22,680/-, राजेन्द्र नगर शिविर में संपत्तिकर 1,01,644/- व जलकर 55,320/-, काटजू नगर शिविर में संपत्तिकर 2,76,000/- व जलकर 59,500/-, वेदव्यास कालोनी शिविर में संपत्तिकर 26,62,144/- व जलकर 6,71,025/-, कल्याण नगर शिविर में संपत्तिकर 71,000/- व जलकर 19,000/-, दीनदयाल नगर शिविर में संपत्तिकर 2,47,000/- व जलकर 64,780/-, बोहरा बाखल शिविर में संपत्तिकर 4,92,000/- व जलकर 66,715/-, रामगढ़ शिविर में संपत्तिकर 1,60,000/- व जलकर 34,340/-, लक्कड़पीठा प्याऊ शिविर में संपत्तिकर 1,30,000/- व जलकर 7,91,030/- की राशि जमा कराई। इस तरह नागरिकों ने अब तक आयोजित शिविरों में 37,62,144/- संपत्तिकर व 7,91,030/- जलकर की राशि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली शिविरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 21 व 45 के लिये 24 से 25 फरवरी तक लक्कड़पीठा प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 48 व 49 के लिये 26 फरवरी व 1 मार्च को आर्य समाज मंदिर धानमण्डी, वार्ड क्रमांक 40 व 41 के लिये 2 मार्च को जूनी कोर्ट किरण टॉकिज, वार्ड क्रमांक 28, 29, 36, 37 व 38 के लिये 3 से 4 मार्च को लॉ कॉलेज आनंद कालोनी, वार्ड क्रमांक 28 के लिये 5 मार्च को प्रताप नगर उद्यान के पास, वार्ड क्रमांक 13 के लिये 6 मार्च को महावीर नगर, वार्ड क्रमांक 39, 40 व 41 के लिये 8 से 9 मार्च तक पैलेस रोड तिराहा, वार्ड क्रमांक 25, 26 व 27 के लिये 10 मार्च को चौगानिया भेरू, वार्ड क्रमांक 24, 25 व 42 के लिये 12 व 15 मार्च को शिक्षा विभाग सायर चबुतरा, वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 16 व 17 मार्च तक चौमुखीपुल प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 41 के लिये 18 से 19 मार्च तक बजाजखाना गणेश देवरी, वार्ड क्रमांक 33, 34 व 35 के लिये 20 व 22 मार्च को शास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पास, वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 23 से 24 मार्च तक दो बत्ती चौराहा, वार्ड क्रमांक 30, 31, 32 व 34 के लिये 25 से 26 मार्च तक स्टेशन रोड दिलबहार चौराहा व वार्ड क्रमांक 16 व 17 के लिये 27 मार्च को टाटा नगर में कार्यालयीन समय में शिविर आयोजित किये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त शिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित शिविरों में बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा 685 मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 24 फरवरी | रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों, सड़को, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 24 फरवरी तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 685 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 24 फरवरी को गांधी नगर, कस्तुरबा नगर, ग्लोबस कालोनी, मुखर्जी नगर, विनोबा नगर से 8 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानों, सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों

का पालन करना नियम विपरित है, ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान है। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रूपये 500/- वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए0पी0 सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान, श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

निगम द्वारा युद्ध स्तर पर किये जा रहे है लीकेज दुरस्त 125 दिनों में 147 वॉल्व व 861 पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण

रतलाम 24 फरवरी | शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ़ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय विभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ किया गया जिसके तहत 24 फरवरी तक 147 वॉल्व व 851 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त किया जा चुका है।

“रतलाम जलशक्ति अभियान” व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड किया जा रहा है तथा अपलोड की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 24 फरवरी बुधवार को सखवाल नगर, राम मंदिर के सामने, जवाहर नगर सेव की दुकान के सामने, इन्द्रा नगर में पाईप लाईन लीकेज दुरस्त किये गये। इसके अलावा गणगौरिया उंकाला मंदिर में ट्यूबवेल से पाईप लाईन फिटिंग का कार्य किया गया।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, जलप्रदाय विभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्य, उपयंत्री श्री सुहास पंडित, श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादव, श्री मोहन आदि के निर्देशन में की गई।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 24 फरवरी | स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लिये नगारिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 24 फरवरी | निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरों, दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित किये जाने

हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डिवाइन के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सिटीजन फीडबैक लिया।

सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 24 फरवरी | रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड, निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिये भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत किये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लिये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शिकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लिये अपने एन्ड्रॉयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करें, उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शिकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शिकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण किया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदारों को रखना होंगे 4 डस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 24 फरवरी | नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्री, फल-सब्जी के छिलके, घांस व पेड़ की पत्तियां, राख, चाय पत्ती, बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा डस्टबीन, सूखा कचरा अर्थात पुस्टा, अखबार, लोहा, कपड़ा, शाल, कांच, पैकिंग मटेरियल, टुटे खिलौने, प्लास्टिक आदि के लिये नीला डस्टबीन, घरेलू हानिकार कचरे के लिये पेन्ट के डिब्बे, पेस्टीसाइड के डिब्बे, सीएफएल, ट्यूबलाईट, थर्मामीटर, बैटरी आदि के लिये काला डस्टबीन तथा मेडिकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीन, डायपर, सुई, सिंरिज, मास्क, ग्लब्स, पीपीई कीट आदि के लिये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में

कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000-5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 24.02.2021 / न.पा.निगम, रतलाम.